

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश  
गौतम नगर, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27-7-2019

क्रमांक/बजट (ए)/01/0581/2018-19 136  
:2018

प्रति,

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,  
विकास खण्ड क्षीरसागर (उज्जैन), ऑदलहेड़ा (राजगढ़), सीधी, जवाह (रतलाम), रतलाम,  
मुरैना।

विषय :- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 0581-11-009 में आबंटन स्वीकृति के संबंध में।

—00—

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद योजना 0581-11-009 अंतर्गत निम्नानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरण में निम्नानुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

बजट शीर्ष/मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	डीडीओ कोड क्रमांक एवं डीडीओ का नाम	स्वीकृत राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
40 स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	श्रीमती सपना गोटवाल, प्राचार्य शा.क.उमावि. क्षीरसागर उज्जैन, म.प्र.।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड उज्जैन 4302003042	RS.75,696=00
2202 सामान्य शिक्षा	श्री पुरुषोत्तम विश्वकर्मा, लेखापाल, शास.हाईस्कूल ऑदलहेड़ा, जिला राजगढ़, म.प्र.	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड राजगढ़ 3002003013	RS.16,864=00
02 माध्यमिक शिक्षा			
109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय	श्री रामाधार पाण्डेवा, प्राचार्य शा.उ.मा.वि. कन्या. सीधी	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड सीधी 4102003005	RS.2,63,335=00
0581 हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी शालायें			
11 वेतन, भत्ते	श्री मिथिलेश कुमार मिश्रा शिक्षक उ.मा.वि. जवाह रतलाम	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड रतलाम 3102003033	RS.45,000=00
8888 -			
V मतदेय	श्री ओ.पी.करमैय्या की पुत्री, प्राचार्य, उमावि. धामनोद, जिला रतलाम।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड रतलाम 3102003033	RS.26,301=00
009 चिकित्सा प्रतिपूर्ति			
	स्व. श्री बांकलाल गोयल गणक शा.वाउ.मा.वि.क02 मुरैना।	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड मुरैना 2502003002	RS.2,08,781+ Rs.14259= 223040=00
योग:- रूपये छः लाख पचास हजार दो सौ छत्तीस मात्र			6,50,236=00

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत की जाती है :-

- मांग पत्रों में संलग्न किये अभिलेखों की मूल प्रति से मिलान उपरान्त राशि आहरण की कार्यवाही की जावेगी।
- म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम-1958 के तद्विषयक प्रावधान एवं तत्सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करें।
- राशि जिस अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका भुगतान उसी अधिकारी/कर्मचारी को किया जायेगा।

4. आवंटित राशि का आहरण अविलम्ब किया जावे।
6. मांग की गई राशि संबंधित कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर जारी की जा रही है। यदि त्रुटिपूर्ण/नियम विरुद्ध भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।

स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2020 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31 मार्च 2020 के पूर्व किया जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके।  
“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”



(संजय कुमार)

संयुक्त संचालक (वित्त)


लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल, दिनांक 27-7-2019

पृष्ठा. क्रमांक/बजट(ए)/01/2019-20/137

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.।
2. जिला कोषालय अधिकारी जिला - उज्जैन, राजगढ़, सीधी, रतलाम, मुरैना म.प्र.।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला - उज्जैन, राजगढ़, सीधी, रतलाम, मुरैना म.प्र.।
4. सहायक संचालक (बजट) स्थानीय, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.।
5. संबंधित कर्मचारीगण सरल क्रमांक 1 से 06 तक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



संयुक्त संचालक (वित्त)

लोक शिक्षण म.प्र.